RBE No. 112/2011

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. E(W) 2004 PS 5-9/1 **New Delhi, Dated : 01-08-2011**

The General Manager (P)
All Indian Railways &
Production Units.

Sub: Entitlements on Kit Pass admissible to Railway servants on transfer/ retirement.

Ref: Railway Board's letter of even number dated 17.06.2009 (RBE No.111/2009).

****

Pursuant to implementation of recommendations of 6th CPC, revised entitlements on Kit Pass admissible to Railway servants for transportation of their personal effects and conveyance on transfer/retirement were circulated in terms of Railway Board's above referred letter dated 17.06.2009. These entitlements were also incorporated in the Railway Servants (Pass) Rules, 1986 under the Advance Correction Slip No.64

2. A review of the aforesaid entitlements on Kit Pass has been done pursuant to demands received from individual officers as well as employees' Unions in view of the difficulties being faced in transportation of luggage/conveyance by Goods trains. Accordingly, in partial modification of the existing orders/instructions revised entitlements on Kit Pass for transportation of personal effects and conveyance are as indicated below :-

Transportation of Personal effects/Conveyance

S.No.	Grade Pay (1)	By Train (2)
(a)	Railway Servants drawing Grade pay of Rs.7600 and above and those in pay scale HAG + and above	6000 Kgs by Goods train plus reimbursement of transportation of motor car by road OR One Container (40 Feet E.U.) or two Containers (20 Feet E.U.) (including cost of door-to-door movement of Container) plus reimbursement of transportation of motor car by road OR One VPU by passenger carrying trains subject to a cut of 20% in the admissible amount of Composite Transfer Grant if a car is carried in the VPU and of 25% if car is not carried.

(b)	Railway Servants drawing Grade pay of Rs.4200, Rs.4600, Rs.4800, Rs.5400 and Rs.6600	6000 Kgs by Goods train plus reimbursement of transportation of motor car by road. OR One Container (1 TEU) (including cost of door-to-door movement of Container) plus reimbursement of transportation of motor car by road OR One VP/VPU by passenger carrying trains subject to a cut of 20% in the admissible amount of Composite Transfer Grant if a car is carried in the VPU and of 25% if car is not carried.
(c)	Railway Servants drawing Grade pay of Rs.2800	3000 Kgs of luggage plus one Motor Cycle/Scooter by Goods train or by Parcel Van/ Brake van attached to passenger carrying trains or by road.
(d)	Railway Servants drawing Grade pay below Rs.2800	1500 Kgs of luggage plus one Motor Cycle/Scooter/Moped/Bicycle by Goods train or by Parcel Van/Brake van attached to passenger carrying trains or by road.

NOTE : A pass for carrying a dog may also be issued in all cases from (a) to (d) above.

3. It has been further decided that personal effects upto the weight limits as indicated above and/or conveyance upto the prescribed scale/rates may be permitted to be transported by road on reimbursement basis in lieu of Kit Pass to the place of posting on transfer/ place of settlement after retirement. Separate instructions regarding rates/scale applicable for transportation of personal effects/ conveyance by road shall be issued by the Finance Directorate of Railway Board.

4. In view of the above, Schedule-I (Duty Pass) in Railway Servants (Pass) Rules, 1986 (Second Edition, 1993) may be amended as in the ACS No.71 enclosed.

5. In all other respects, the existing provisions of Railway Servants (Pass) Rules, 1986 (Second Edition, 1993) will apply.

6. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

7. These orders shall take effect from 3rd June, 2011.

8. Please acknowledge receipt of the letter.

(Debasis Mazumdar)
Joint Director Estt. (Welfare),
Railway Board.

Advance Correction Slip No.71 to Railway Servants (Pass) Rules, 1986 (Second Edition, 1993)

The existing provisions of Schedule-I (Pass on Transfer) governing entitlement of Kit Passes to Group 'A', 'B', 'C' and 'D' Railway Servants may be substituted by the following provisions:-

Transportation of Personal effects/Conveyance

S.No.	Grade Pay (1)	By Train (2)
(a)	Railway Servants drawing Grade pay of Rs.7600 and above and those in pay scale HAG + and above	6000 Kgs by Goods train plus reimbursement of transportation of motor car by road OR One Container (40 Feet E.U.) or two Containers (20 Feet E.U.) (including cost of door-to-door movement of Container) plus reimbursement of transportation of motor car by road OR One VPU by passenger carrying trains subject to a cut of 20% in the admissible amount of Composite Transfer Grant if a car is carried in the VPU and of 25% if car is not carried.
(b)	Railway Servants drawing Grade pay of Rs.4200, Rs.4600, Rs.4800, Rs.5400 and Rs.6600	6000 Kgs by Goods train plus reimbursement of transportation of motor car by road. OR One Container (1 TEU) (including cost of door-to-door movement of Container) plus reimbursement of transportation of motor car by road OR One VP/VPU by passenger carrying trains subject to a cut of 20% in the admissible amount of Composite Transfer Grant if a car is carried in the VPU and of 25% if car is not carried.
(c)	Railway Servants drawing Grade pay of Rs.2800	3000 Kgs of luggage plus one Motor Cycle/Scooter by Goods train or by Parcel Van/ Brake van attached to passenger carrying trains or by road

...2/-

(d)	Railway Servants drawing Grade pay below Rs.2800	1500 Kgs of luggage plus one Motor Cycle/Scooter/Moped/Bicycle by Goods train or by Parcel Van/Brake van attached to passenger carrying trains or by road

NOTES

A. A pass for carrying a dog may also be issued in all cases from (a) to (d) above.

B. Personal effects upto the weight limits as indicated above and/or conveyance upto the prescribed scale/rates may be permitted to be transported by road on reimbursement basis in lieu of Kit Pass, to the place of posting on transfer/ place of settlement on retirement.

C. The rates/scales for transportation of personal effects/ conveyance by road shall be as laid down by Finance Directorate of Railway Board.

(Authority: Railway Board's Letter No. E(W) 2004 PS 5-9/1 dated 01.08.2011)

आर बी ई सं. 112/2011

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. ई (डब्ल्यू) 2004 पी.एस. 5-9/1

नई दिल्ली, दि. 01.08.2011

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

विषयः स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति पर रेल सेवकों को अनुमेय किट (सामान) पास की पात्रता।
संदर्भः रेलवे बोर्ड का दिनांक 17.06.2009 का समसंख्यक पत्र।(आरबीई सं.111/2009)

छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के अनुसरण में रेलवे बोर्ड के दिनांक 17.06.2009 के उपरिनिर्दिष्ट समसंख्यक पत्र के अनुसार, स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति पर रेल सेवकों को उनके निजी सामान और वाहन के परिवहन हेतु उन्हें अनुमेय किट (सामान) पास की संशोधित पात्रता परिपत्रित की गई थीं। इन पात्रताओं को अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 64 के तहत रेल सेवक (पास) नियम, 1986 में भी समाविष्ट किया गया था।

2. मालगाड़ियों से सामान/वाहन के परिवहन के मामले में सामने आ रही कठिनाइयों को देखते हुए, अलग-अलग अधिकारियों और कर्मचारी यूनियनों से प्राप्त मांगों के अनुसरण में किट (सामान) पास पर उपर्युक्त पात्रताओं की पुनरीक्षा की गई। तदनुसार, वर्तमान आदेशों/अनुदेशों का आंशिक आशोधन करते हुए निजी सामान और वाहन के परिवहन हेतु किट (सामान) पास की संशोधित पात्रताएं नीचे लिखे अनुसार होंगी :-

निजी वस्तुओं/वाहन का परिवहन

क्र.सं.	**ग्रेड वेतन**	**रेलगाड़ी द्वारा**
	(1)	(2)
(क)	वे रेल सेवक जो 7600 रु. और उससे अधिक ग्रेड वेतन ले रहे हैं और वे जो उच्च प्रशासनिक ग्रेड और उससे अधिक के वेतनमान में हैं।	मालगाड़ी द्वारा 6000 कि.ग्रा. और सड़क द्वारा मोटर कार के परिवहन की प्रतिपूर्ति। या एक कंटेनर (40 फुट ई.यू) या दो कंटेनर (20 फुट ई.यू) (कंटेनर के डोर टू डोर संचलन की लागत सहित) और सड़क द्वारा मोटर कार के परिवहन की प्रतिपूर्ति। या

D:\BFP PROJECT\adi\doc\Translation Work\E(W)\E (W) 2004 PS 5-9-1.doc

		यदि वीपीयू में एक कार को ले जाया जाता है तो कम्पोज़िट ट्रांसफर अनुदान की ग्राह्य राशि में 20% कटौती और यदि कार को नहीं ले जाया जाता तो 25% की कटौती के अध्यधीन यात्री गाड़ियों द्वारा एक वी पी यू।
(ख)	वे रेल सेवक जो 4200 रु., 4600 रु., 4800 रु., 5400रु., 6600रु. ग्रेड वेतन ले रहे हैं।	मालगाड़ी द्वारा 6000 कि.ग्रा. और सड़क द्वारा मोटर कार के परिवहन की प्रतिपूर्ति। या एक कंटेनर (1 टी ई यू) (कंटेनर के डोर टू डोर संचलन की लागत सहित) और सड़क द्वारा मोटर कार के परिवहन की प्रतिपूर्ति। या यदि वी पी/वी पी यू में एक कार को ले जाया जाता है तो कम्पोज़िट ट्रांसफर अनुदान की ग्राह्य राशि में 20% कटौती और यदि नहीं ले जाता तो 25% की कटौती के अध्यधीन यात्री गाड़ियों द्वारा एक वीपी/वीपीयू:
(ग)	वे रेल सेवक जो 2800 रु. ग्रेड वेतन ले रहे हैं।	मालगाड़ी द्वारा या यात्री रेलगाड़ियों के साथ जुड़ी पार्सल वैन/ब्रेक वैन द्वारा अथवा सड़क द्वारा 3000 कि.ग्रा. सामान तथा एक मोटर साइकिल/स्कूटर ।
(घ)	वे रेल सेवक जो 2800 रु. से कम ग्रेड वेतन ले रहे हैं।	माल गाड़ी द्वारा या यात्री रेलगाड़ियों के साथ जुड़ी पार्सल वैन/ब्रेक वैन द्वारा अथवा सड़क द्वारा 1500 कि.ग्रा. सामान तथा एक मोटर साइकिल/ स्कूटर /मोपेड/ साइकिल

टिप्पणी : उपर्युक्त 'क' से 'घ' के सभी मामलों में एक कुत्ते को ले जाने के लिए एक पास भी जारी किया जाए।

3. आगे यह विनिश्चय किया गया है कि स्थानांतरण पर तैनाती के स्थान/सेवानिवृत्ति के पश्चात बसने के स्थान तक किट (सामान) पास की एवज में प्रतिपूर्ति के आधार पर सड़क द्वारा उपरिनिर्दिष्ट भार सीमाओं तक निजी सामान और/या निर्धारित मापमानों/दरों तक वाहन के परिवहन की अनुमति दी जाए। रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय द्वारा सड़क मार्ग से निजी सामान/वाहन के परिवहन हेतु लागू दरों/ मापमानों के संबंध में पृथक अनुदेश जारी किए जाएंगे।

4. उपर्युक्त को देखते हुए, रेल सेवक (पास) नियम, 1986 (द्वितीय संस्करण, 1993) में अनुसूची-1 (ड्यूटी पास)संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 71 के अनुसार संशोधन किया जाए।

D:\BFP PROJECT\adi\doc\Translation Work\E(W)\E (W) 2004 PS 5-9-1.doc

5. अन्य सभी संदर्भों में, रेल सेवक (पास) नियम, 1986 (द्वितीय संस्करण,1993) के वर्तमान उपबंध लागू होंगे।

6. यह रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

7. ये आदेश 3 जून, 2011 से लागू होंगे।

8. कृपया पत्र की पावती दें।

(देबाशीष मजूमदार)
संयुक्त निदेशक, स्था.(कल्याण)
रेलवे बोर्ड

सं. ई (डब्ल्यू) 2004 पी.एस. 5-9/1 नई दिल्ली, दि. 01.08.2011

प्रतिलिपि:

भारत के उप महानिदेशक एवं लेखा परीक्षक कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

कृते वित्तायुक्त/रेलवे

सं. ई (डब्ल्यू) 2004 पी.एस. 5-9/1 नई दिल्ली, दि. 01.08.2011

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. महासचिव, एआईआरएफ, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
2. महासचिव, एनएफआईआर, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
3. महासचिव, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
4. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "ए" अधिकारी संघ, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
5. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास-II, ऑफिसर्स एसोसिएशन (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
6. महासचिव, आईआरपीओएफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
7. अध्यक्ष, रेलवे क्लास-II ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल नीलायम, सिकंदराबाद (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
8. अध्यक्ष, अखिल भारतीय अजा/अजजा रेल कर्मचारी एसोसिएशन, 7-भूतल, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास-IV कर्मचारी संघ (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

रेल सेवक (पास) नियम, 1986 (द्वितीय संस्करण 1993) के लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची संख्या 71

समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' के रेल सेवकों के लिए किट (सामान) पास की पात्रता को शासित करने वाली अनुसूची-I (स्थानांतरण पर पास) के वर्तमान उपबंधों को निम्नलिखित उपबंधों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए:-

निजी वस्तुओं/वाहन का परिवहन

क्र.सं.	ग्रेड वेतन	गाड़ी द्वारा
	(1)	(2)
(क)	वे रेल सेवक जो 7600 रु. और उससे अधिक ग्रेड वेतन ले रहे हैं और वे जो उच्च प्रशासनिक ग्रेड और उससे अधिक के वेतनमान में हैं।	मालगाड़ी द्वारा 6000 कि.ग्रा. और सड़क द्वारा मोटर कार के परिवहन की प्रतिपूर्ति। या एक कंटेनर (40 फुट ई.यू) या दो कंटेनर (20 फुट ई.यू) (कंटेनर के डोर टू डोर संचलन की लागत सहित) और सड़क द्वारा मोटर कार के परिवहन की प्रतिपूर्ति। या यदि वीपीयू में एक कार को ले जाया जाता है तो कम्पोज़िट ट्रांसफर अनुदान की ग्राह्य राशि में 20% कटौती और यदि कार को नहीं ले जाया जाता तो 25% की कटौती के अध्यधीन यात्री गाड़ियों द्वारा एक वी पी यू।
(ख)	वे रेल सेवक जो 4200 रु., 4600 रु., 4800 रु., 5400रु., 6600रु. ग्रेड वेतन ले रहे हैं।	मालगाड़ी द्वारा 6000 कि.ग्रा. और सड़क द्वारा मोटर कार के परिवहन की प्रतिपूर्ति। या एक कंटेनर (1 टी ई यू) (कंटेनर के डोर टू डोर संचलन की लागत सहित) और सड़क द्वारा मोटर कार के परिवहन की प्रतिपूर्ति। या यदि वी पी/वी पी यू में एक कार को ले जाया

		जाता है तो कम्पोज़िट ट्रांसफर अनुदान की ग्राह्य राशि में 20% कटौती और यदि नहीं ले जाता तो 25% की कटौती के अध्यधीन यात्री गाड़ियों द्वारा एक वीपी/वीपीयू:
(ग)	वे रेल सेवक जो 2800 रु. ग्रेड वेतन ले रहे हैं।	मालगाड़ी द्वारा या यात्री रेलगाड़ियों के साथ जुड़ी पार्सल वैन/ब्रेक वैन द्वारा अथवा सड़क द्वारा 3000 कि.ग्रा. सामान तथा एक मोटर साइकिल/स्कूटर ।
(घ)	वे रेल सेवक जो 2800 रु. से कम ग्रेड वेतन ले रहे हैं।	मालगाड़ी द्वारा या यात्री रेलगाड़ियों के साथ जुड़ी पार्सल वैन/ब्रेक वैन द्वारा अथवा सड़क द्वारा 1500 कि.ग्रा. सामान तथा एक मोटर साइकिल/ स्कूटर /मोपेड/ साइकिल

टिप्पणी :

(क) उपर्युक्त 'क' से 'घ' के सभी मामलों में एक कुत्ते को ले जाने के लिए एक पास भी जारी किया जाए।

(ख) स्थानांतरण पर तैनाती के स्थान/सेवा निवृत्ति के पश्चात बसने के स्थान तक किट (सामान) पास की एवज में प्रतिपूर्ति के आधार पर सड़क द्वारा उपर्युक्त उल्लिखित भार सीमाओं तक निजी सामानों और/या निर्धारित मापमानों/दरों तक वाहन के परिवहन की अनुमति दी जाए।

(ग) सड़क द्वारा निजी सामानों/वाहन की परिवहन दरें/स्केल रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का 01.08.2011 के पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 2004 पी एस 5-9-1)